International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

कृषि उपज मण्डियों में विपणन प्रक्रिया एवं मूल्य निर्धारण

डॉ. माया अग्रवाल
अतिथि विद्वान–वाणिज्य
मन्दसौर (म.प्र.)

बाजार या विपणन प्रक्रिया एक विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन के पश्चात उपभोग तक की समस्त क्रियाएँ सम्मिलित की जाती है, क्रय एवं विक्रय इसकी पुनः वितरण की क्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग है, कृषि मण्डी के सम्बंध में इससे आशय मण्डी में कृषक के माल के विक्रय सम्बंधी समस्त प्रक्रियाओं से है, मण्डी प्रांगण में एक बार माल आ जाने के बाद उक्त माल के विक्रय संबंधी समस्त क्रियाएँ जैसे निलामी करना, माल को आवश्यकतानुसार विभिन्न ढेर में परिवर्तन करना, तुलाई करना आदि समस्त क्रियाएँ बाजार प्रक्रिया के अंतर्गत आती है।

टाउसेल क्लार्क एवं क्लार्क के विचार –

''विपणन प्रक्रिया वह केन्द्र है जिसके चारों ओर या जिसमें एक वस्तु के अधिकार बदलने के लिए शक्तियाँ कार्य करती है तथा जिसकी ओर जहाँ से वास्तविक माल यात्रा करता है।''[1]

श्री वी.जी. मुकर्जी के शब्दों में –

''इसमें कोई संशय नहीं कि बाजार पद्धति पर ही उत्पादक का लाभ अवलम्बित रहता है।''[2]

बाजार प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिसका उद्देश्य माल के क्रेता को आकर्षित करना व वर्तमान परिस्थितियों में माल का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना।

बाजारों का वर्गीकरण –

1. **स्थानीय थोक बाजार** – यें बाजार प्रायः उत्पादन केन्द्रों पर स्थापित होते है, इसमें कृषि उपज का श्रेणीयन किया जाता है तथा विपणन कार्य मुख्यतः स्थानीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा किया जाता है।

2. **केन्द्रीय थोक बाजार** – इन बाजारों की स्थापना शीघ्र नष्ट होने वाली उपज के उत्पादक केन्द्रों पर की जाती है इसमें उपज को एक ही स्थान पर संग्रहित कर उपभोक्ता तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। इस बाजार में थोक व्यापारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि उपज का संग्रह करने के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। जिसकी व्यवस्था फुटकर व्यापारी नहीं कर सकता है।
3. **गौण केन्द्रीय बाजार** – इन बाजारों में उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल का विक्रय होता है। थोक व्यापारी उद्योग से संबंधित होते है ये व्यापारी उद्योग के लिये माल का क्रय करते है और उपज का उचित संग्रह कर सीधे उद्योगों को पहुँचा देते है।

नियमिति मण्डियाँ –

नियमित मण्डियाँ ऐसी मण्डियाँ है जिसकी स्थापना म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अंतर्गत हुई है इन मण्डियों में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जैसे व्यापारी, हम्माल, तुलावटियों को लायसेंस लेना अनिवार्य है। इन मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपज का विपणन किया जाता है, मण्डी समितियों में नियंत्रण एवं संचालन का कार्य मण्डी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दिशा–निर्देश कार्य हेतु मण्डी समिति का गठन किया जाता है। म.प्र. में वर्तमान में 300 से अधिक मण्डिया कार्यरत है।

अनियंत्रित मण्डी –

नियमित मण्डी के बिल्कुल विपरीत ये मण्डियाँ रहती है, इन मण्डियों की स्थापना कृषि उपज मण्डी अधिनियम के अंतर्गत नहीं होती है। अनियमित मण्डियों में प्रतिदिन विपणन कार्य नहीं होना है। एक निश्चित दिन क्रय–विक्रय किया जाता है। जैसे साप्ताहिक बाजार इत्यादि।

मण्डियों में बाजार प्रक्रिया –

बाजार प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रकार के कार्य सम्मिलित है –

1. माल की पहुँच एवं विक्रय

2. माल का तौल एवं उसका भुगतान

1. माल की पहुँच एवं विक्रय –

विक्रय का आशय वस्तुओं के भौतिक हस्तांतरण से है। प्राचीन समय में उत्पादन हाथों से तथा छोटे पैमाने पर किया जाता था किंतु वर्तमान समय में मण्डियों का विकास, अतिरेक विक्रय के कारण हुआ है, समुचित विक्रय व्यवस्था से ही कृषकों को उसकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकता है तथा मण्डी का विकास भी प्रभावशाली विक्रय पद्धति पर निर्भर करता है।

मध्यप्रदेश में म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज जो कि कृषि उपज क्षेत्र या बाहर के व्यक्तियों द्वारा कृषि उपज मण्डियों में लायी जाती है उनका क्रय–विक्रय मण्डी प्रांगण में घोष पद्धति के आधार पर किया जाता है। मण्डी प्रांगण में इन कृषि उपजों को पंजीकृत व्यापारियों द्वारा क्रय किया जाता है और आने वाली उपजों को व्यवस्थित क्रम में कतारबद्ध खड़ा किया जाता है।

कृषि उपज के मण्डी में आने पर मण्डी कर्मचारी सरकारी घोषित समर्थन मूल्य (न्यूनतम मूल्य) से निलामी प्रारंभ करते है एवं अधिक मूल्य पर बोली रोक दी जाती है, जो व्यापारी अधिक मूल्य की बोली लगाता है उसे ही उपज क्रय करने का अधिकार प्राप्त होता है किन्तु यहाँ विक्रेता की सहमति आवश्यक है, यदि क्रेता द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली मूल्य पर विक्रेता सहमत है तो वस्तु का विक्रय होगा अन्यथा नहीं।

बोली समाप्त होने के पश्चात नियत मण्डी कर्मचारी अनुबंध की रसीद तीन प्रतियों में बनाता है और उसमें से एक प्रति क्रेता, दूसरी प्रति विक्रेता तथा एक प्रति मण्डी रिकार्ड के लिये रख लेता है। इस प्रति को अनुबंध रसीद कहा जाता है। इस रसीद में क्रेता, विक्रेता उपज की किस्म, उपज का मूल्य, क्रेता–विक्रेता के हस्ताक्षर आदि होते है।

इस अनुबंध रसीद को दिखाकर कृषक क्रेता व्यापारी से भुगतान प्राप्त करता है। यह रसीद भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर उसके निराकारण का आधार होती है।

बोली समाप्त होने पर यदि विक्रेता यह समझता है कि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है या यदि निर्धारित मूल्य से कृषक संतुष्ट नहीं है तो मण्डी कर्मचारी को एक रूपया शुल्क देकर अनुबंध रसीद को निरस्त करवा सकता है।

इस प्रकार म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम कृषक वर्ग के हितों की रक्षा करता है क्योंकि अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मात्र कृषक वर्ग को ही है, व्यापारी वर्ग को नही। इसके अतिरिक्त आपसी विवादों का निराकरण भी सरलता से किया जा सकता है।

2. कृषि उपज मण्डियों में माल का तौल एवं उसका भुगतान –

कृषि उपज मण्डियों में उपज की तौल मण्डी प्रांगण में लायसेंसधारी तुलावटियों द्वारा की जाती है। तुलावटियों की नियुक्ति एक वर्ष के लिये की जाती है, इन्हें लायसेंस लेना अनिवार्य है। मण्डी प्रांगण में सभी क्रेता व्यापारी के कांटे लगे हुए है इन्हीं काँटों पर तुलावटियों द्वारा उपज का तौल किया जाता है। मण्डियों में कृषि उपज की तौल करने के पश्चात् तुलावटिया अनुबंध रसीद पर तौल की मात्रा (कुल भार) लिखकर अपने हस्ताक्षर द्वारा तौल को प्रमाणित कर देता है। कृषक इस अनुबंध की रसीद को लेकर क्रेता व्यापारी की दुकान पर भुगतान के लिये जाता है। क्रेता अनुबंध रसीद पर लिखी तौल की मात्रा एवं मूल्य के अनुसार कृषक को भुगतान करने के लिये बिक्री प्रमाणक बिल तैयार करता है। यह कृषक को दिया जाता है। प्रमाणक बिल तीन प्रतियों में तैयार किया जाता है जिसमें से प्रथम प्रति कृषक (विक्रेता) को दी जाती है जिससे वह अपनी उपज विक्रय का हिसाब देख सके दूसरी प्रति मण्डी कार्यालय में मण्डी शुल्क के भुगतान के लिए रखी जाती है तथा तीसरी प्रति स्वयं क्रेता अपने पास रिकार्ड के लिये रख लेता है।

कृषि उपज का मूल्य व उसका निर्धारण –

कृषि उपज के संबंध में मूल्य निर्धारण से आशय उस मूल्य से है जिस पर नीलाम करने पर व्यापारियों की प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। कृषि उपज विपणन में मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वस्तु का मूल्य एक ऐसी वस्तु है जिस पर उत्पादक तथा

उपभोक्ता दोनो का ध्यान केन्द्रित रहता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कृषि उपज का मूल्य निर्धारण मांग व पूर्ति के साम्य के आधार पर होता है।

मूल्य का निर्धारण कृषक ही नहीं करता बल्कि अन्य ऐजेंसिया भी इसका निर्धारण करती है। यह ऐजेंसी सरकार हो सकती है या कोई अन्य संस्था हो सकती है। अतः कृषि मूल्य के संदर्भ में अनिश्चितता उसके साथ जुड़ी रहती है वैसे भी कृषि व्यवसाय अनिश्चितता से भरा होता है, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून का जुआँ है इसी प्रकार अनिश्चितताओं से भरे हुए कृषि मूल्य भी पाये जाते है।

कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा प्रमुख कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है इसका प्रमुख उद्देश्य अति–उत्पादन की स्थिति में उपज के मूल्य को गिराने से रोकना तथा इस प्रकार किसानों के हितों का संरक्षण करना, कृषि उपज का बाजार मूल्य इस प्रकार से घेषित समर्थन मूल्य से नीचे आने पर सरकार स्वयं समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने को तैयार रहती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

1. विपणन के सिद्धांत – टाउसेल क्लाक एण्ड क्लार्क
2. बाजार व्यवस्था – टी.आर. शर्मा